हिन्दी भाषा एवं बोलिया

भाषा - भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य मन के भावों और विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है। वह भाषा के द्वारा दूसरों के भावों और विचारों को सुनकर और पढ़कर जानता है।

हिन्दी भाषा	सं.	बोली	बोली–क्षेत्र
1. पश्चिमी हिन्दी (पश्चिमी उपभाषा) शौरसेनी अपभ्रंश	1	बुंदेली	छतरपुर (मध्यप्रदेश व०प्र०)
	2	कन्नौजी	कन्नोज (उत्तर प्रदेश)
	3	ब्रजभाषा	मथुरा, आगरा (उ०प्र०)
	4	खड़ीबोली (कौरवी)	दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर (उ०प्र०)
	5	बांगरू (हरियाणवी)	रोहतक (हरियाणवी)

हिन्दी भाषा	सं.	बोली	बोली–क्षेत्र
2. पूर्वी हिन्दी (पूर्वी उपभाषा) अर्द्धमागधीअपभ्रंग	6	अवधी	लखनऊ (उ०प्र०)
	7	बघेली	रीवा (मध्यप्रदेश, उ०प्र०)
	8	छत्तीसगढ़	रायपुर (छत्तीसगढ़)

हिन्दी भाषा	सं.	बोली	बोली–क्षेत्र
3. बिहारी हिंदी (बिहारी उपभाषा) मागधी अपंभ्रश	9	मगही	गया, (बिहार)
	10	मैथिली	दरंभगा (बिहार)
	11	भोजपुरी	बोलियाँ (पूर्वी उ०प्र०, बिहार)
4. पहाड़ी हिन्दी (पहाड़ी उपभाषा) खस (शौरसेनी अपभ्रंग से प्रभावित	12	मंडियाली	मंडी जिला (हिमाचल प्रदेश)
	13	गढ़वाली	टिहरी गढ़वाल (उत्तराखडं)
	14	कुमाऊँगी	अल्मोड़ा, नैनीताल (“)

हिन्दी भाषा	सं.	बोली	बोली–क्षेत्र
5. राजस्थानी हिन्दी राजस्थानी उपभाषा शौरसेनी उपभ्रंश	15	मेवाड़ी	उदयपुर, भीलवाड़ा, चितौड़गढ़
	16	मेवाती	अलवर, भरतपुर, गुड़गाँव, दिल्ली, करनाल का पश्चिमी क्षेत्र
	17	हाड़ौती	कोटा, बूँदी, बारां, झालावाड़
	18	मारवाड़ी	जोधपुर, बिकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालौर, सिरोही (राजस्थान)

बोली → उपभाषा → भाषा का विकास, ठीक वैसा ही होता है, जैसे

गाँव → कस्बा → शहर

बोली - किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा का वह अल्प-विकसित रूप 'बोली' कहलाता है, जिसका कोई लिखित रूप अथवा साहित्य नहीं होता। या

भाषा का क्षेत्रीय रूप 'बोली' कहलाता है।

- भाषा - 'भाषा' का एक विशाल विस्तृत क्षेत्र में बोलने, लिखने, साहित्य-रचना करने तथा संचार - माध्यमों के परस्पर आदान-प्रदान मं◌े प्रयुक्त होती हो, उसे भाषा कहते हैं।

- भाषा परिवर्तन के कारण - कई पीढ़ियों के अंतर, स्थान-विशेष की जलवायु, दैहिक भिन्न्ता, भौगोलिक विभिन्न्ता, जातीय और मानसिक अवस्था में अंतर रूचि और प्रवृत्ति में परिर्वतन एवं बदलाव तथा प्रयत्न साधन आदि कारणों से भाषा में परिवर्तन होते हैं।

हिन्दी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, झारखण्ड, मध्य प्रदेश तथा बिहार के आसपास का क्षेत्र है। जिसे हिन्दी भाषी प्रदेश कहते हैं। इसे पूरे हिंदी प्रदेश में हिन्दी को पाँच उपभाषाएँ और इनके अन्तर्गत 18 बोलियाँ का उल्लेख है -

खड़ी बोली

इसका दूसरा नाम ‘कौरवी’ है कुछ लोग इसके अन्य नाम हिन्दुस्तानी ‘नागरी’, हिन्दी एवं ‘सरहिन्दी’ भी मानते हैं। इसका उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है -

साहित्यिक हिन्दी

दिल्ली मेरठ के आस पास की लोक बोली खड़ी बोली की दो प्रधान बोलियाँ हैं -

- बिजनौर की खड़ी बोली
- मेरठ की बोली
- आज संस्कृत से युक्त खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा है। खड़ी बोली का परिनिष्ठत रूप वर्तमान हिन्दी है, जो पत्र-पत्रिकाओं, शिक्षा, प्रशासन, व्यापार, तथा सूचना-संचार में प्रयुक्त की जाती है। देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद ।

- हिन्दी की 'ऐ' 'औ' ध्वनियों के स्थान पर खड़ी बोली में 'ए' 'ओ' ध्वनियाँ मिलती है। यथा - 'और' का 'ओर' 'है' के स्थान पर 'हे'।
- हिन्दी में 'न' ध्वनि के स्थान पर खड़ी बोली में 'ण' का प्रयोग मिलता है। यथा-सुनना-सुणणा।
- साहित्यिक हिन्दी की ड़, ढ़ ध्वनियों को खड़ी बोली में ड, ढ बोला-लिखा जाता है यथा-बड़ा' -बडा, चढ़ा-चढा।

ब्रज प्रदेश की भाषा को ब्रजभाषा कहा जाता है। प्राचीन काल में ब्रज शब्द का प्रयोग पशुओं, या गौआं का समूह या चरागाह के लिए होता था, इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। गंगा-यमुना के मध्य की भाषा होने के कारण डा ग्रियर्सन ने इसे 'अन्तर्वेदी' नाम दिया इसके अन्य नाम है - ब्रजी, ब्रिज, ब्रिजकी, भाषा मणि-माधुरी एवं नागभाषा आदि। मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, बुलन्दशहर, एटा, बदायुँ, मैनपुरी, बरेली आदि ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं।

- इनमें तीनो 'श्', 'ष', 'स्' को केवल 'स' मिलता है।
- ऋ के स्थान पर - रि मिलता है।
- 'व' के स्थान पर 'म' का प्रचलन है - पायेंगे का पामेंगे।
- 'ण' के स्थान पर 'न' मिलता है - प्रवीण का प्रवीन
- 'ड़' - 'ढ़' 'ल' के स्थान पर 'र' का प्रयोग मिलता है - कड़ी का करी, उलझ का उरझ।
- खड़ी बोली हिन्दी के आकारान्त संज्ञाओं के स्थान पर औकारान्त संज्ञाएँ मिलती हैं। यथा - हमारा के स्थान पर हमारौ, उनका के स्थान पर उनकौ।

साहित्य तथा लोक साहित्य के क्षेत्र में यह भाषा बहुत ही सम्पन्न् है। इसके प्रमुख कवि हैं - अष्टदाप के समस्त कवि, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकार, सत्यनारायण, 'कविरत्न'

हरियाणवी

इसका अन्य नाम ‘वांगरू’ है। हरियाणवी का विकास उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। कुछ लोग इसे ‘हरियानी’ या ‘हरियाणी’ कुछ देश भाषा कके नाते ‘देसाणी’ भी कहते हैं। रोहतक व दिल्ली के जाटों के नाम से यह जाद् तथा बांगर प्रदेश के सम्बन्ध होने के कारण यह ‘बांगरू’ कहलाती है ।हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग, करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, जींद, नाभा आदि ।

कन्नौजी

कान्यकुब्ज प्राचीन काल में एक प्रदेश का नाम था। कन्नौजी भी शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। यह ब्रज के अत्यधिक समीप है। जिस कारण कुछ लोग इसे ब्रज की उपबोली मानते हैं। कन्नौजी में केवल लोक साहित्य प्राप्त है।

कन्नौजी भाषा का क्षेत्र - इटावा, फर्रूखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई जिले इसके क्षेत्र में हैं। फर्रूखाबाद इस भाषा का केन्द्र है।

- इसकी वर्णमाला ब्रजभाषा से मिलती जुलती है।
- ऐ, औ के स्थान पर ‘ए’, ‘ओ’ का प्रयोग मिलता है - बडो, चलों
- कन्नौजी बोली की प्रधान प्रवृति है - शब्दों का ओकारान्त होना।
- यथा - हमारा-हमाओ, तुम्हारा-तुमाओ, मेरा-मेओ, बड़ा-बड़ो किया-करो, चला-चलो, गया-गओ यहाँ पहले दिए गए शब्द हिन्दी के हैं और दूसरा शब्द उसका कन्नौजी रूप है।

अवधी –

कुछ विद्वान इसे ‘कौशली’ व ‘वैसवाडी’ बोली भी कहते हैं। इस बोली का केन्द्र अयोध्या है। अयोध्या का विकसित रूप अवध है।

अवधी भाषा का क्षेत्र - लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्◌ाव, रायबेरली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ बाराबंकी आदि।

- ‘य’, ‘व’ को ‘अ’ पाठ मिलता है, जैसे - करिए को ‘करिअ’, ‘छुवत’ का ‘छुअत’ हो जाता है।
- ‘ण’ को ‘न’, ‘ड’ और ‘र’, ‘य’ को ‘ज’, ‘व’ को ‘ब’ का प्रयोग होता है।

बघेली का उद्भव अर्द्धमागधी (अवधी के एक क्षेत्रीय रूप से) हुआ है। कुछ भाषा वैज्ञानिक इसको अवधी की एक बोली मानते हैं।

बघेली भाषा का क्षेत्र - इसका केन्द्र रीवा राज्य है। इसलिए इसे रीवाई भी कहते हैं। दमोह, जबलपुर, मण्डला, बालाघाट, फतेपुर, हमीरपुर, बांदा में इसका व्यवहार बुन्देली मिश्रित रूप मिलता है।

- अवधी के ‘व’ का ‘ब’ हो जाता है जैसे - आवा को आबा हो जोता है।
- ‘उ’, ‘ओ’, ‘इ’, ‘ए’ स्वरों का क्रमशः ‘या’ तथा ‘वा’ हो जाता है। जैसे - खैत का ख्यात, तुमरे का त्वारे।

इसका अन्य नाम ‘लरिया’ ‘खल्टाही’ भी है। इसका विकास अर्धमागधी अपभं्रग के दक्षिणी रूप से हुआ है। लोकगीतों की दृष्टि से यह भाषा सम्पन्न्ा है। इसमें साहित्य का अभाव है।

छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र - सरगुजा, कौरिया, बिलासपुर, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगाँव, कांकेर आदि।

- संज्ञा सर्वनाम में 'ऐ' व 'औ' ध्वनियाँ का क्रमशः 'अइ' 'अउ' रूप मिलता है। जैसे - बैल का बइल, जोन का जउन।
- इसमें शब्दों के मध्य में 'ड़' ध्वनि का लोप हो जाता है। जैसे - लड़का का लइका
- अल्पप्राण ध्वनियों का महाप्राण ध्वनियों में परिवर्तन की प्रवृत्ति है। जैसे - कचहरी को कछेरी
- 'स' के स्थान पर 'छ' का पाठ मिलता है। जैसे - सीता को छीता, सात को छात।

मारवाड़ी

यह प्राचीन मारवाड़ प्रान्त की बोली है। यह पश्चिमी राजस्थानी का रूप भी है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंग से हुआ है। मारवाड़ी में साहित्य व लोक साहित्य दोनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मीरा के पद इसी भाषा में है।

मारवाड़ी का क्षेत्र -जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही आदी।

यह उत्तरी राजस्थानी भाशा है। इसका विकास भी भौरसेनी अपभ्रं ा से हुआ है। इसकी एक मिश्रित बोली अहीरवाटी है।

<u>मेवाती का क्षेत्र</u> – अलवर, गुड़गाँव, भरतपुर तथा दिल्ली, करनाल का पि चमी क्षेत्र आदि।

स्थानीय लोग इसे 'ढूँढ़ाणी' जयपुरिया भी कहते हैं। यह भौरसेनी अपंभ्र ा से विकसित हैं इसमें केवल लोक साहित्य उपलबध है। इसे पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं।

<u>जयपुरी का क्षेत्र</u> – जयपुर इसका प्रमुख केन्द्र है। अजमेर और कि ानगढ़ में भी यह बोली जाती है।

इसको दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। यह भौरसेनी अपभ्रं ा से विकसित है। इसका मुख्य केन्द्र मालवा है। जिसकी प्रतिनिधि बोली मालवी है।

<u>मालवी का क्षेत्र</u> – इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, हो ांगाबाद आदि।

उदयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। इसलिए यहाँ की बोली मेवाड़ी कहलाती है। यह मारवाड़ी के बाद राजस्थान की महत्त्वपूर्ण बोली के विकसित और ि िश्ट रूप से द िन हमें 12 वीं एवं 13 वीं भाताब्दी में ही मिलने लगते हैं। मेवाड़ी का भाुद्ध रूप मेवाड़ के गांवों में ही देखने को मिलता है। मेवाड़ी में लोक साहित्य का विपुल भण्डार है। केवल ए और औ की ध्वनि के भाब्द अधिक प्रयुक्त होते हैं।

हाड़ा राजपूतों द्वारा भाासित होने के कारण कोटा, बूंदी, बाराँ एवं झालावाड़ का क्षेत्र हाड़ौती कहलाया और यहाँ की बोली हाड़ौती जो दूँढ़ाडी की ही एक उपबोली है।

- यह पूर्वी राजस्थान की बोली है।
- ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में भी हड़ौती को बोली के रूप में मान्यता दी है।

<u>हड़ौती का क्षेत्र</u> – वर्तमान क्षेत्र–कोटा बूंदी (इन्द्रगढ़ एवं नैनवा तहसीलों के उत्तरी भाग को छोड़कर) बारां (कि िनगंज एवं भााहाबाद तहसीलों के पूर्वी भाग के अलावा) तथा झालावाड़) के उत्तरी भाग की प्रथम बोली है।

<u>पि चमी पहाड़ी</u> – इसकी लगभग 30 बोलियाँ हैं। डॉ. सुनीत कुमार चटर्जी इन बोलियो का विकास खस अपभ्रं ा से तथा उन्हें भौरसेनी से प्रभावित मानते हैं। इसमें केवल लोक साहित्य भी उपलब्ध है।

<u>पि चमी पहाडी का क्षेत्र</u> – जौनसर, सिरमौर, ि ामला, मंडी, चंबा व इसके आसपास के क्षेत्र ।

मध्यवर्ती पहाड़ी

इसका क्षेत्र गढ़वाल कुमाऊँ के आसपास के क्षेत्र हैं। गढ़वाली और कुमायूँनी मध्य पहाड़ी के दो मुख्य भेद है। कुमाऊँनी उत्तराखण्ड के कुमाऊँ मण्डलमें बोली जाती है। इस पर राजस्थानी का वि ेश प्रभाव है। गढ़वाली गढ़वाल मण्डल में बोली जाती है। जिसका प्रमुख केन्द्र श्रीनगर है।

नोट – कुछ विद्वानों ने नेपाली को पूर्वी पहाड़ी माना है। पूर्वी पहाड़ी को 'गोरखाली' व 'खसकुरा' भी कहते हैं। इस क्षेत्र में चीनी–तिब्बती भाषा परिवार की नेवारी बोली का भी व्यापक प्रयोग होता है।

हिंदी भाषा	बोली	बोली–क्षेत्र
1. पश्चिमी हिंदी (पश्चिमी उपभाषा) शौरसेनी अपभ्रंश	बुंदेली	झाँसी, जालौन, ललितपुर (चित्रकुट व बांदा के कुछ हिस्से)
	कन्नौजी	कन्नौज, इटावा, फर्रूखाबाद पिलीभित्त, शाहजहाँपुर, हरदोई
	खड़ीबोली	मेरठ, सहारनपुर, गौतम बूद्ध नगर, रामपूर, बिजनौर
	ब्रजभाषा	मथुरा, आगरा, एटा, बदायूँ, अलीगढ़, बरेली, मैनपुरी

हिंदी भाषा	बोली	बोली–क्षेत्र
2. पूर्वी हिन्दी (पूर्वी उपभाषा) अपभ्रंग	अवधी अर्द्धमगधी	लखनऊ, फेजाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर नगर, कानपुर देहात इलाहाबाद, कौशाम्बी, सीताराम, गोण्डा रायेवली, फतेहपुर, बारांबकी, गोण्डा, सुल्तानपुर
	बघेली हिस्से	बादां चित्रकुट, सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश से लगे सीमावर्ती

हिंदी भाषा	बोली	बोली–क्षेत्र
3. बिहारी हिन्दी	भोजपुरी	बस्ती, गोरखपुर, बलिया, सिद्धार्थ नगर, देवरिया, गाजीपुर, महाराजगंज, आजमगढ़, बनारस, मिर्जापुर, कुशीनगर, चंदौली, मऊ, जौनपुर, अम्बेडकर नगर आदि।

नोट – दो बोलियों से सटे हुए जिले मिश्रित बोली का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार गंगा नदी के किसी सीान के जल को स्प ि कर यह नहीं कर सकते हैं कि यह कानपुर की गंगा है और यह इलाहाबाद की गंगा है। उसी प्रकार से सटे हुए जिले की बोली का अंतर कर पाना असाध्य है।

बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, भााहाबाद, चम्पारन, सारन आदि।

मगही

संस्कृत मगध से विकसित भाब्द मगह से सम्बन्धित है। यह अपभ्रंग से विकसित है। इसका प्रमुख केन्द्र पटना है। इसको लिखने के लिए कैथी व नागरी लिपि का प्रयोग होता है।

मगही का क्षेत्र – पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुगंर, भागलपुर।

मैथिली

यह प्राचीन मिथिला प्रदे ा की बोली है। इसका विकास मागधी अपभ्रं ा के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। इसमें साहित्य रचना अत्यंत प्राचीनकाल से चली आ रही है। इसमें विद्यापति, गोविन्ददास, नागार्जुन आदि प्रमुख कवि हैं। इसका अन्य नाम तिरहुतिया भी है। यह तीन लिपियों मैथिली लिपी, कैथी लिपी तथा नागरी लिपि में लिखी जाती है।

- दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया व मुंगेर आदि।
- हिन्दी की ये बोलियाँ अत्यंत समृद्ध हैं। खड़ी बोली हिन्दी से ही वर्तमान साहित्यिक हिन्दी का विकास हुआ है। खड़ी बोली हिन्दी ही हमारी राजभाषा है तथा वही बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण राश्टभाशा बन गई है।

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाएँ

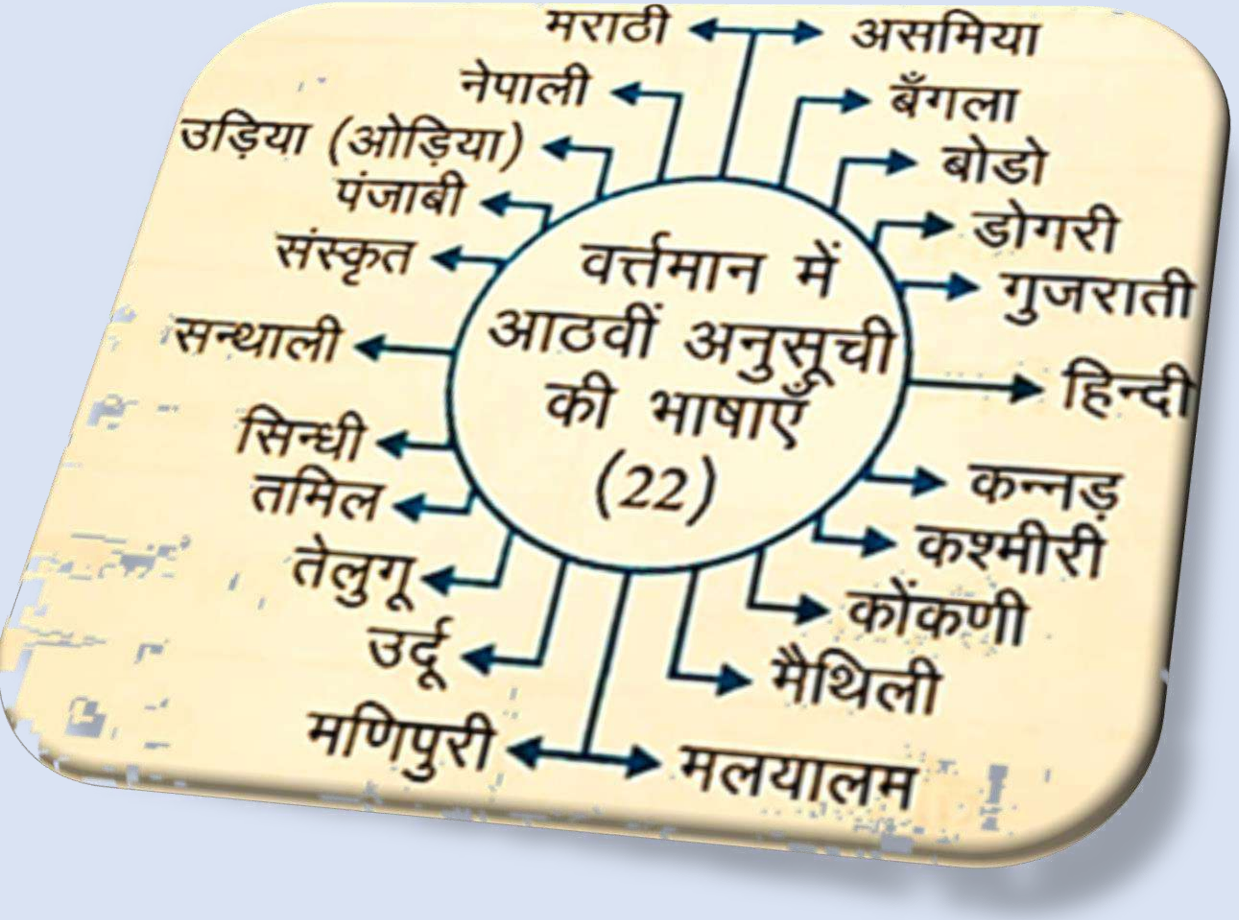

मूल संविधान में कुल 14 भाषाएँ रहीं

मूल संविधान में कुल 14 भाषाएँ रहीं

21 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा
- सिन्धी

71 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा
- कोंकणी
- मणिपुरी
- नेपाली

92 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा
- मैथली
- डोंगरी
- बोडो
- संथाली

भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित ‘हिन्दी’

अनुच्छेद 343

- संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी तथा राजकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप।
- अनु. 343(1) संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष तक राजकीय प्रयोजन में अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा।
- अनु. 343 (3), 15 वर्षों के पश्चात भी विधि द्वारा उक्त अवधि बढ़ायी जा सकेगी।

अनुच्छेद 344

- राजभाषा आयोग का गठन
- राष्ट्रीय संविधान के प्रारम्भ से 5 वर्ष की समाप्ति तथा पश्चात् ऐसे प्रारम्भ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आयोग गठित करेंगे।

भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित 'हिन्दी'

अनुच्छेद 345

- राज्यों की राजकीय भाषा

अनुच्छेद 346

- संघ व राज्यों के बीच पत्रादि की राज भाषा
- राज्य और राज्यों के बीच पत्रादि की राज भाषा

अनुच्छेद 347

- किसी राज्य की प्रयाप्त जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य की 'दूसरी राजभाषा' का दर्जा देना।

अनुच्छेद 348

- उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियां 'अंग्रेजी' में

भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित 'हिन्दी'

अनुच्छेद 349

- संसद को राजभाषा से संबंधित किसी विधेयक या संशोधन पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है।

अनुच्छेद 350

- 350 क अल्प संख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में।
- 350 ख भाषायी अल्पसंख्यक अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा।

अनुच्छेद 351

- संघ का कार्य होगा की वह किसी भाषा का प्रसार बढाए तथा उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक स्संस्कृति के सभी तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बने।